

RTI ऑनलाइन पोर्टल से सार्वजनिक जानकारी गायब

स्रोत: द हट्टि

प्रलिस के लयि:

आरटीआई अधनियम, संवधान का अनुच्छेद 19(1)(a), केंद्रीय सूचना आयोग, सार्वजनिक सूचना कार्यालय, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

मेन्स के लयि:

भारत में आरटीआई से जुड़े मुद्दे

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के समक्ष एक बकित स्थिति उत्पन्न हुई है, इस पोर्टल पर पछिले आवेदनों और प्रतिक्रियाओं सहित बड़ी मात्रा में सार्वजनिक जानकारी गायब होने की खबरें आ रही हैं।

- गायब हुए अभलिखीय डेटा की पुनर्प्राप्ति के उद्देश्य से पोर्टल के रख-रखाव का कार्य चल रहा है। यह घटना आरटीआई अधनियम के ढाँचे के भीतर जवाबदेही बनाए रखने से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित करती है।

सूचना का अधिकार अधनियम:

- परचिय:
 - सूचना का अधिकार अधनियम एक वधायी ढाँचा है जो भारतीय नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों के पास उपलब्ध जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। वर्ष 2005 में अधनियमति इस अधनियम का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी को बढ़ावा देना है।
 - इसने सूचना की स्वतंत्रता अधनियम 2002 को प्रतस्थापित किया है।
 - इससे पहले राजस्थान में मजदूर कसिन शक्ति संगठन, जो कि एक गैर सरकारी संगठन था, ने राज्य सरकार को वर्ष 1997 में सूचना का अधिकार अधनियम पारति करने की पहल की थी।
 - आरटीआई अधनियम की धारा 22 के अनुसार, इस अधनियम के प्रावधान वर्ष 1923 के आधिकारिक गोपनीयता अधनियम, मौजूदा कानूनों अथवा इस अधनियम के अलावा अन्य कानूनों के माध्यम से स्थापित किसी भी समझौते के साथ किसी भी वरीधाभास के बावजूद प्रभावी होंगे।
- संवधानिक समर्थन:
 - आरटीआई अधनियम भारत के संवधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से लया गया है, यह भाषण और अभवियक्तकी स्वतंत्रता की गारंटी देता है।
 - 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार माना जाएगा।
- समय-सीमा:
 - सामान्य तौर पर किसी आवेदक को सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी होती है।
 - यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्तिके जीवन अथवा स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उससे संबंधित जानकारी आवेदक को 48 घंटों के भीतर प्रदान कयि जाने का प्रावधान है।
 - यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा गया है या यह किसी गलत लोक प्राधिकारी को भेजा गया है, तो तीस दिन या 48 घंटे की अवधि में मामले के अनुरूप उसकी कार्यवाही में अतरिकित पाँच दिन जोड़ दयि जाएंगे।
- मुक्त जानकारी (Exempted Information):
 - RTI अधनियम की धारा 8 (1) इस बारे में बात करती है कि कनि सूचनाओं को RTI के तहत छूट दी गई है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य के रणनीतिक मामले, वदेशी संबंध, अपराधों के लयि उकसाना आदि से संबंधित जानकारी शामिल है।

- कार्यान्वयन:
 - जन सूचना कार्यालय (PIO) RTI अधिनियम के कार्यान्वयन का एक महत्वपूर्ण घटक है।
 - PIO किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर एक नामति अधिकारी है जो जानकारी मांगने वाले नागरिकों और उस जानकारी को रखने वाले सरकारी संगठन के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है।
- अपीलीय प्राधिकारी और तंत्र:
 - यदि किसी नागरिक के RTI अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा वह PIO द्वारा दिये गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो उसी सार्वजनिक प्राधिकरण के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है।
 - यदि नागरिक अभी भी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के नरिणय से असंतुष्ट है तो वह केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में दूसरी अपील दायर कर सकता है।

आरटीआई अधिनियम में हुए हालिया संशोधन:

- वर्ष 2023 में हुए संशोधन: हाल ही में [डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023](#) की धारा 44 (3) द्वारा आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (j) में संशोधन किया गया है। इससे अब सभी व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण अनविर्य नहीं रह गया है और पहले से स्थापित अपवादों को हटा दिया गया जो इस प्रकार की सूचना जारी करने की अनुमति देते थे।
- सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019: इसके द्वारा केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यकाल तथा शर्तों में बदलाव किया गया।
 - सूचना आयुक्तों का कार्यकाल: पूर्व नरिधारित 5-वर्षीय कार्यकाल के विपरीत, उनका कार्यकाल अब केंद्र सरकार के नरिदेशों (वर्तमान में 3 वर्ष की अवधि के लिये नरिधारित) द्वारा शासित होता है।
 - वेतन का नरिधारण: इसमें यह भी प्रावधान है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों (केंद्र के साथ-साथ राज्यों के) वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा नरिधारित की जाएंगी।
 - वेतन में कटौती: वर्ष 2019 के अधिनियम द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के समय पछिली सरकारी सेवा के लिये पेंशन, या किसी अन्य सेवानवृत्त लाभ में कटौती के प्रावधानों को हटा दिया।

भारत में RTI से संबंधित मुद्दे:

- लंबित मामले: वर्तमान में पूरे भारत में विभिन्न सूचना आयोगों के पास 3 लाख से अधिक शकियतें अथवा अपीलें लंबित हैं।
 - इसके अलावा सूचना आयुक्तों (ICs) और राज्य सूचना आयुक्तों (SICs) के काफी पद रिक्त हैं।
- RTI अधिनियम का दुरुपयोग: कुछ लोग सार्वजनिक हित के बजाय RTI अधिनियम का उपयोग तुच्छ, कष्टप्रद या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिये करते हैं। इससे सार्वजनिक प्राधिकरणों के समय और संसाधनों की बर्बादी होती है तथा उनकी कार्य कुशलता में बाधा आती है।
- अत्यधिक छूट: अधिनियम संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिये छूट प्रदान करता है। हालाँकि ऐसे उदाहरण हैं जहाँ जानकारी के लिये वैध अनुरोधों को अस्वीकार करने के लिये इन छूटों का दुरुपयोग किया गया है।
- सूचना का अधिकार बनाम नजिता का अधिकार कानून: RTI अधिनियम और उभरते डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता कानूनों के बीच तनाव इन अधिकारों के पदानुक्रम तथा उनके बीच संभावित संघर्षों के बारे में सवाल उठाता है।

आगे की राह

- ओपन डेटा इकोसिस्टम: एक व्यापक ओपन डेटा इकोसिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है जहाँ प्रासंगिक सरकारी डेटा जनता के लिये पठनीय प्रारूप में उपलब्ध हो।
 - इससे RTI मामलों में कमी आ सकती है और नागरिकों, शोधकर्ताओं तथा पत्रकारों को डेटा तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचने और उसका विश्लेषण करने में सक्षम बनाया जा सकता है।
- डेटा सुरक्षा के लिये ब्लाकचेन: RTI से संबंधित सरकारी कार्यों और नरिणयों का एक अपरिवर्तनीय एवं पारदर्शी रिकॉर्ड बनाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा डेटा छेड़छाड़ को रोकने के लिये ब्लाकचेन तकनीक के उपयोग का पता लगाने की आवश्यकता है।
- प्राधिकारियों के लिये पारदर्शिता सूचकांक: एक पारदर्शिता सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता है जो RTI अनुरोधों के प्रतिक्रिया के आधार पर सार्वजनिक प्राधिकारियों का मूल्यांकन करता हो, ताकि बेहतर जवाबदेही के लिये स्वस्थ प्रतिक्रिया को बढ़ावा मिला जा सके।
- AI-सहायता प्राप्त प्रतिक्रियाएँ: RTI अनुरोधों को वर्गीकृत करने और संसाधित करने के लिये AI-संचालित प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता है, जिससे सटीक सूचना पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए प्रतिक्रिया प्रक्रिया अधिक कुशल बनाया जा सके।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न . "सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।" विवेचना कीजिये। (2018)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/missing-public-information-on-rti-online-portal>

